Anganwadi workers and helpers working at Anganwadi Centres are honorary and part-time (4½ hours a day) voluntary workers selected from local community. They cannot be treated as Government employees or given minimum wages as it will be contrary to the concept of community involvement which is the basis of the Integrated Child Development Services Programme. They are given fixed honorarium that has been enhanced from time to time. The matter regarding revision of honorarium of Anganwadi workers and helpers is, however, getting Government's utmost attention. Instructions have been issued to the State Government/U.T. Administrations that they may consider suitable recruitment rules wherein qualified Anganwadi workers can be considered for appointment as Supervisors.

गुजरात में अनधिकृत खुदाई

1692. **श्री राजूभाई ए० परमार :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में अनेक स्थानों पर खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को मूर्तियां और ऐतिहासिक महत्व की विभिन्न प्राचीन वस्तुएं मिली थीं;

(ख) क्या उक्त विभाग ने आगे खुदाई का कार्य रोक दिया है और उस इलाके में अनधिकृत खुदाई का कार्य हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार उस क्षेत्र में खुदाई का कार्य पुनः शुरू करने और अनधीकृत खुदाई को रोकने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में उपमंत्री, (कुमारी शैलजा) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने धोलावीरा, जिला कच्छ, गुजरात में उत्खनन-कार्य किया है जिससे प्रकाश में निम्न वस्तुए आई:-विभिन्न मिट्टी के बर्तनों के अलावा, चहारदीवारी वाली हड़प्पा काल की बस्ती एवं पूर्ववर्ती वस्तुए, संरचनात्मक अवशेष, एक शिलालेख, मोहरें मुद्रांकनें, पकी मिट्टी की लघु मूर्तियां, शख, ताम्बे एवं पत्थर की पुरा-वस्तुएं ।

(ख से (ङ) इस स्थल पर कोई अनधिकृत उत्खनन-कार्य नहीं किया गया है । तथापि, इस स्थल पर उत्खनन-कार्य का पुनरारम्भ 'पुरातत्व की केन्द्रीय सलाहकार समिति की स्थायी समिति द्वारा सामग्री' आदि' की छानबीन किए जाने और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति पर निर्भर करता है ।

ग्रामीण शिक्षा के लिए आवंटन

1693. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण शिक्षा के लिए अपर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है जबकि बहुसंख्यक आबादी गांवों में रहती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण शिक्षा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) प्राइमरी, माध्यमिक और प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रदत्त सरकारी सहायता, जो 1992-93 की वार्षिक योजना में शिक्षा पर कुल केन्द्रीय परिव्यय का 64.39! है, के लाभ मुख्यतः ग्रामीण